

# भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार Notes Chapter 9 Class 11 Bharat Ka Samvidhan Sidhant Aur Vavhar संविधान : एक जीवन्त दस्तावेज UP Board

- 
- संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।


## संविधान में जीवन्तता है क्योंकि —

1. यह परिवर्तनशील है।
2. यह स्थायी या गतिहीन नहीं।
3. समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है।
4. संशोधनों के पीछे राजीनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय की जरूरत प्रमुख।

## संविधान में संशोधन—


1. संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है।
2. संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
3. संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित हो।
4. संशोधनों के मामलों में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण।
5. संविधान में अबतक लगभग 100 संशोधन
6. संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

## संविधान में संशोधन के तरीके –



## संविधान में इतने संशोधन क्यों?

- हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारु रूप से काम कर रहा था पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को संजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने (लगभग 100) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए किए गए।



### विवादस्पद संशोधन—

- वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो | संशोधन 38वां, 39वां 42वां विवादस्पद माने जाते हैं। ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे।

### संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त—

- यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया—
  1. संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई।
  2. यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर।
  3. संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा।

### संविधान एक जीवंत दस्तावेज—

- संविधान एक गतिशील दस्तावेज है।
- भारतीय संविधान का अस्तित्व 67 वर्षों से है इस बीच यह अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में उतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।
- परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है यहीं उसकी जीवंतता का प्रमाण है।

## प्रश्नावली

### एक अंकीय प्रश्न:—

1. जीवन्त संविधान का अर्थ बताइए?
2. भारतीय संविधान कब अंगीकृत और कब लागू किया गया?
3. भारत के संविधान का स्वरूप कैसा रहा?
4. संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है?
5. 15वां संशोधन किस से संबंधित है?
6. किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?
7. भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ?
8. संविधान की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए।
9. भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमें में हुआ?
10. भारतीय संविधान में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं?

### दो अंकीय प्रश्न:—

1. कोई दो उदाहरण दीजिए जिसमें संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएं बिना ही संशोधन कर सकती है?
2. संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो आज भी विद्यमान हैं?
3. संविधान में संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनो सदनों में मतभेद होने पर क्या किया जाता है?
4. भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का समन्वय है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाइए।
5. न्यायिक पुर्नरावलोकन क्या है?
6. संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है?
7. भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने के क्या कारण हैं?
8. केशवानंद भारती मुकदमें के कोई दो महत्व लिखो।

### चार अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में साधारण विधि से संशोधन किन विषयों में किया जा सकता है?
2. भारतीय संविधान में नीचे लिए संशोधन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है?
  - (1) चुनाव आयोग से सम्बन्धित
  - (2) राज्यों की सीमाओं में बदलाव
  - (3) धार्मिक स्वतंत्रता का आधार
  - (4) केन्द्र सूची में परिवर्तन
3. साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में क्या अंतर है?

### पांच अंकीय प्रश्न

1. जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। वास्तव में संविधान का 42 वां संशोधन बहुत बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती दी। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया मूलकर्तव्यों को भी संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया।
  - 1) भारत में आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई।
  - 2) कौन-से तीन विवादास्पद संशोधन इस काल में किए गए?
  - 3) केशवानंद भारती विवाद का संविधान संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ा?

### छः अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
2. संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? अर्थ समझाकर अपनी राय दीजिए।
3. संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा दिए गए कुछ परिवर्तनों का वर्णन करो।

## उत्तरमाला

### एक अंकीय उत्तर:-

1. संविधान गतिशील, परिस्थितियों व समयानुसार परिवर्तन
2. 26 नवंबर 1949 का संविधान अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू
3. लचीला व कठोर
4. 368
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62
6. 61वां संशोधन
7. 1976
8. उसकी मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए।
9. स्वामी केशवानंद भारती के मुकदमें में।
10. अब तक संविधान में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं।

### 2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 2 (नए राज्यों को प्रवेश देना)  
अनुच्छेद 3 (राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना)
2. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, सामाजिक तथा आर्थिक समानता राष्ट्रीय एकता व अखंडता
3. दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत जरूरी। अगर दोनों सदनों में संशोधन पास नहीं होता तो वह रद्द हो जाता।
4. संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। न पूर्णतः लचीला और न ही पूरी तरह से कठोर।

**लचीला संविधान-** जिसमें संशोधन सरलता से वैसे ही किया जाता है जैसे कानून बनाया जाता है उदाहरण के लिए -राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना आदि। संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदल सकते हैं।

**कठोर संविधान-** संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है और कुछ के लिए बहुमत के

साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है।

5. विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायपालिका द्वारा दोबारा विचार करने को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।
6. परिस्थितियों के अनुसार समय के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं।
7.
  - 1) लचीला संविधान
  - 2) परिस्थितियाँ
  - 3) विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए
  - 4) सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए
8.
  - 1) 38वें व 39वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती
  - 2) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढाँचे की धारणा का प्रतिपादन किया।

#### 4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1.
  - 1) नए राज्यों का निर्माण
  - 2) राज्य का नाम बदलना
  - 3) राज्य की सीमा में परिवर्तन
  - 4) संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में संशोधन
2.
  - 1) विशेष बहुमत
  - 2) सामान्य बहुमत
  - 3) विशेष बहुमत
  - 4) विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुमोदन
3. साधारण बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का संख्या 50% + 1 है।  
विशेष बहुमत— सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है।

#### पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर —

1. 25 जून 1975 राष्ट्रपति श्री फ़करुद्दीन अली अहमद
2. लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ा कर छः वर्ष, मूल कर्तव्य संविधान में जोड़, न्यायपालिका की समीक्षा पर प्रतिबन्ध।
3. संविधान के मूल ढाँचे के परिवर्तन पर रोक लगी।

**छ: अंकीय प्रश्नों के उत्तर—**

1. a) संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर  
b) संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत के आधार पर  
c) संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत तथ कुल राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति ।
2. a) संविधान गतिशील या जीवंत दस्तावेज  
b) जीवित प्राणी की तरह अनुभव से सीखता है ।  
c) भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने को लिए समर्थ होना पड़ता है इसलिए संशोधन होते हैं ।
3. 1) 1951 – संपत्ति के अधिकार का संशोधन संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई ।  
2) 1969 – उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो ।  
3) 42वां संशोधन (1976) प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द का जुड़ना ।  
4) 52वां संशोधन (1985) दल बदल पर रोक ।  
5) 1989 – 61 वां संशोधन—मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष  
6) 73 वां, 74वां संशोधन – स्थानीय स्वशासन  
7) 93 वां संशोधन (2005) उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित ।